न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 82/2018

1. मै0 राजबहादुर मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रायपुर तहसील महवा जिला दौसा
..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकरी दौसा ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश जिला रसद अधिकारी, दौसा दिनांक 29.11.2017 मुकदमा नम्बर 75/2017 उनवान राज्य सरकार बनाम मै0 राजबहादुर मीना

उपस्थितः 1.श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 29.11.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रकरण में जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट द्वारा पेश किये गये नोटिस के जवाब पर व उसके तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया तथा प्रकरण की वास्तविकता की जांच किये बिना ही दिनांक 29.11.2017 को अपीलांट के प्राधिकार पत्र निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि जो भी राशन सामग्री उपभोक्ता को दी जाती है वह पॉश मशीन द्वारा दी जाती है और पॉश मशीन में उपभोक्ता का अंगूठा लगाया जाता है। पॉश मशीन में कोई कालाबाजारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट ही उक्त दुकान करता है। अपीलांट का भाई रामचरण सहायक बतौर कार्य करता था। क्योंकि अपीलांट का एक्सीडेन्ट हो जाने से शारीरिक पीडा होती है। जिला रसद अधिकारी, दौसा ने अपने निर्णय में दिनांक 17.03.17 को दुकान नहीं खुलने का तथ्य अंकित किया है। जबकि अपीलांट ने तारिख 17.03.2017 से पूर्व ही जिला रसद अधिकारी को यह अवगत करा दिया था कि अपीलांट उक्त दिवस को अपनी बच्ची को 12 वीं की परीक्षा दिलवाने सिन्दुकी गया हुआ था। इस कारण से दुकान बन्द थी। जिला रसद अधिकारी दौसा का उक्त आदेश दुर्भावनावश तथा साजिशपूर्ण है इसका प्रमाण यह भी है कि अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 30.03.2017 को एक कारण बताओं नोटिस दिया था। जिसमें दिनांक 12.04.2017 को उक्त नोटिस का जवाब पेश करने की तारीख दी गई थी। लेकिन अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 24.03.2017 को ही निलम्बित कर दिया।

अपीलांट के यहां भौतिक सत्यापन करने गये अधिकारी को सम्पूर्ण राशन सामग्री दुकान पर मिली थी। लेकिन रसद अधिकारी द्वारा कम मिलने की झूठी रिपोर्ट की है। भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी ने सभी कार्यवाहियों पर साक्षीयों के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस बाबत साक्षीयों ने जिला रसद अधिकारी को शपथ पत्र पेश किये थे। जिला रसद अधिकारी, दौसा का उक्त आदेश कानून नियम के खिलाफ एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम रायपुर तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजबहादूर मीना की दुकान का प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा दिनांक 16.03.2017 को राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायत क्रमांक 02170302135301 दिनांक 02.02.2017 के सम्बन्ध में जांच किये जाने पर राशन सामग्री वितरण में अनियमितता पाये जाने की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यलय में प्रस्तुत की गई। जांच में निम्न अनियमितता अंकित की गई हैः—

1. उक्त उचित मूल्य दुकान न खुलने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच किये जाने पर दुकान बन्द मिली एवं आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त दुकान, दुकानदार राजबहादुर मीना द्वारा नहीं चलाया जाकर उसके छोटे भाई रामचरण द्वारा चलाई जाती है। जिसके द्वारा सही प्रकार से सामग्री नहीं बांटना उपस्थितियों ने बताया।
2. दिनांक 17.3.2017 तक भी दुकान नहीं खुलने की शिकायत की जांच हेतु उक्त दुकान पर पुनः जांच हेतु जांच दल के साथ पहूँचने पर मौके पर बन्द मिली। दुकानदार के बारे में पूछताछ करने पर व दूरभाष पर सम्पर्क करने पर मोबाइल से सम्पर्क नहीं हो पाया। शिकायतों की गम्भीरता व दुकान लगातार बन्द रहने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु दुकान को सील किया गया।
3. दिनांक 23.03.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक के साथ दुकान पर पहुँच कर 17.03.2017 को लगाई सील को जांच करने पर सील सही पाये जाने पर सील को खोलकर उपस्थित फर्द पर हस्ताक्षरकर्ता मौत बिरानों व डीलर के भाई रामचरण मीना के समक्ष जांच करने पर दुकान में कोई राशन सामग्री नहीं मिली।
4. उचित मूल्य दुकानदार के भाई रामचरण मीना जो कि वास्तविकरूप से उचित मूल्य की दुकान चलाता है की निशानदेही पर अनाधिकृत स्थानों पर राशन सामग्री कालाबाजारी करने की नियत से 48.60 क्वि. गेहूँ, 1992 लीटर केरोसीन तेल व 208.500 किग्रा. चीनी रखी जाना पाई गई। जिसको जब्त किया जाकर अन्तर्गत धारा 6 "अ" का प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में दर्ज कराया गया। जिसका निर्णय दिनांक 27.02.2017 को न्यायालय द्वारा किया जाकर जब्तशुदा गेहूँ, चीनी व केरोसीन में बारदाना राजसात किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में चालान संख्या 91 दिनांक 23.10.2017 द्वारा राजसात की राशि 61811/— रूपये जमा राजकोष किये जा चुके है।

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,3,4,5,6,7,9,11,13 व 17 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त वर्णित 48.60 क्वि. गेहूँ, 1992 लीटर केरोसीन तेल व 208.500 किग्रा. चीनी को अनाधिकृत स्थान पर रखे जाने के सम्बन्ध में एवं दिनांक 23.07.2017 को सील दुकान को खोलकर जांच करने पर दुकान में कोई राशन सामग्री नही मिलने के सम्बन्ध में कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official